

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का दिवंगत (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शिथिली से निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) श्लोकित नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकता है ।

एनल खिड़की केवल शताब्दीय प्रयोजनाधी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 124 दिनांक 01/08/2019

प्राणी अमनाराम डा.0 श्री शशाशम जी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No 233 की प्रमाण पुरा

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पस

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 8900/- जमा

जरिये रसीद संख्या 1028/6030,6031

दिनांक 01/08/2019 को जमा करा दी है ।

१०/२/१९

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

अमनाराम

01/08/2019

81211912121

जी+1
आवासीय